



राजस्थान सरकार

# न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या 23/2025

प्रार्थी/सायल  
राजस्थान सरकार जरिये  
हल्का पटवारी भेडाणा

बनाम

अप्रार्थी/गैर सायलान्  
डूंगराराम पुत्र गुमनाराम माधाराम पुत्र  
गुमनाराम जाति मेघवाल निवासी  
वीरदास नगर, आमलियाला  
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 29.12.2025

## निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का भेडाणा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा वीरदास नगर की राजकीय भूमि ख.न. 311/285 रकबा 0.1800 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम(राजकीय भूमि) में से 0.0603 हैक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी द्वारा पक्का घर, टांका व बाड़ बनाकर अतिक्रमण/अतिचार कर रखा है। अतः गैर सायलान् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 29.12.2025 को हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायलान् अनुपस्थित। गैर सायलान् को सुनवाई का मौका देने व खुले न्यायालय में तीन बार आवाज लगाने के तदुपरान्त अनुपस्थित होने से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि किस्म बारानी सोयम(सरकारी भूमि) है जिस पर गैर सायलान् का अनाधिकृत कब्जा साबित होता है। अतः गैर सायलान् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.03 रूपये का राउण्ड अप 01 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायलान् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमी द्वारा की किये पक्का निर्माण, टांका व बाड़ को हटावा कर सरकारी तहवील में लेने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, ILR तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ईश्वरलाल सोलंकी आर.टी.एस.)  
तहसीलदार गुड़ामालानी

